

मध्यप्रदेश शासन
स्कूल शिक्षा विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल-462004

क्रमांक एफ 37-2/2020/20-3

भोपाल, दिनांक 31/12/2020

//परिपत्र//

विभागीय समस्त कार्यके परिपत्र दिनांक 21.05.2020 द्वारा ऐसे समस्त अशासकीय प्राथमिक/माध्यमिक विद्यालय जिनकी मान्यता 31 मार्च 2020 को समाप्त हो गई है उन्हें मान्यता नवीनीकरण हेतु आवेदन प्रक्रिया से छूट प्रदान प्रदान करते हुए विद्यालयों की मान्यता दिनांक 31 मार्च 2021 तक की समयवधि हेतु यथावत मान्य किया गया था।

2/ राज्य शिक्षा केंद्र को पत्र क्रमांक/सशिके/आरटीई/2020/8225 दिनांक 14.12.2020 द्वारा शैक्षणिक सत्र 2021-22 के लिए निःशुल्क एवं बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अंतर्गत निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2011 के तहत संचालित ऐसे समस्त अशासकीय प्राथमिक/माध्यमिक विद्यालयों हेतु नवीन मान्यता एवं मान्यता नवीनीकरण हेतु एनएचई की आरटीई पालन का दिनांक 18.12.2020 से 18.01.2021 तक ऑनलाइन आवेदन करने का उक्त सीमा नियत की गई है।


3/ वर्तमान कोविड-19 संक्रमण के दुर्घटित अशासकीय संस्थाओं को होने वाली कठिनाईयों एवं प्रावधान को स्थान में लक्ष्य हुए राज्य शासन एतद् द्वारा निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2011 के नियम 21 में प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए निम्नानुसार निर्देश जारी किए जाते हैं-

3.1 निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अंतर्गत निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2011 के तहत प्रदेश में संचालित ऐसे समस्त अशासकीय प्राथमिक/माध्यमिक विद्यालय को मान्यता नवीनीकरण हेतु वर्तमान में प्रचलित प्रक्रिया से छूट प्रदान करते हुए उक्त विद्यालयों की मान्यता नवीनीकरण को दिनांक 31 मार्च 2022 तक की समयवधि हेतु यथावत मान्य किया जाए।

3.2 शैक्षणिक सत्र 2021-22 के लिए नवीन मान्यता एवं रक्षा सुदृढ़ हेतु जिन शैक्षणिक संस्थाओं द्वारा निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2011 के नियम 11 के अनुसार ऑनलाइन पत्र के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन किया गया है उनका निराकरण निम्न निर्देशों के अन्तर्गत निरकृत किया जाए।

3.3 उपरोक्तानुसार एसी समस्त संस्थाओं को निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 तथा निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2011 में वर्णित विद्यालय संचालन हेतु आवश्यक मापदण्डों एवं शर्तों का पालन करना अनिवार्य होगा।

निर्देशानुसार समस्त संघिओं द्वारा उक्त निर्देशों के पालन हेतु आवश्यक कार्यवाही की जाए।


21.12.20
(कै.के.द्विवेदी)
उप सचिव

म.प्र. शासन, स्कूल शिक्षा विभाग

चूकमांक एफ 37-2/2020/20-3

भोपाल, दिनांक 31/12/2020

प्रतिलिपि:-

- 1 विशेष सहायक, मान. मंत्री स्कूल शिक्षा विभाग, भोपाल।
 - 2 प्रमुख सचिव, म.प्र.शासन, स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
 - 3 आयुक्त, लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश, भोपाल।
 - 4 संचालक, राज्य शिक्षा केन्द्र, मध्यप्रदेश, भोपाल।
 - 5 आयुक्त, आदिवासी विकास विभाग, मध्यप्रदेश, भोपाल।
 - 6 आयुक्त, जनसंपर्क विभाग, मध्यप्रदेश, भोपाल।
 - 7 समस्त सभागीय आयुक्त, मध्यप्रदेश।
 - 8 समस्त कलेक्टर, मध्यप्रदेश।
 - 9 समस्त मुख्य कार्यालय अधिकाारी, मध्यप्रदेश।
 - 10 राज्य स्तरीय एवं विज्ञान केन्द्र एनआईसी, विद्यालय भवन, भोपाल।
 - 11 श्री. तुर्नल जैन शैक्षणिक तकनीकी निदेशक, विद्यालय भवन, भोपाल।
 - 12 समस्त सभागीय सदस्य संचालक, लोक शिक्षण, म.प्र।
 - 13 समस्त जिला शिक्षा अधिकारी, मध्यप्रदेश।
 - 14 समस्त जिला परियोजना समन्वयक जिला शिक्षा केन्द्र, मध्यप्रदेश।
 - 15 समस्त विकासखण्ड समन्वयक, राज्य शिक्षा केन्द्र, मध्यप्रदेश।
- की ओर सूचनाएँ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

Amul

31.12.20
उप सचिव

म.प्र. शासन, स्कूल शिक्षा विभाग